निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1939 (श0)

(सं0 पटना 981) पटना, बुधवार, 18 अक्तूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
18 अक्तूबर 2017

एस0 ओ0 247, दिनांक 18 अक्तूबर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:-

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर नियमावली (अष्टम संशोधन), 2017 कही जा सकेगी।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,

(i) नियम 89 के उप नियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रुप में मानी गई पूर्तियों की बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा, --

(क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता; या

(ख) **उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता**";

(ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में,"तीन मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्,"या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) प्ररुप जीएसटी आरएफडी – 01 में,

(क) **"विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :-**

"विवरण 2 [नियम 89 (2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार :- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपयों में)

क्र० सं०	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी / एफआईआरसी		नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतवर्लित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतवलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं०	तारीख	मूल्य	कराधेय	रकम		सं०	तारीख			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
											I"

(ख) **"विवरण 4" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :-**

"विवरण 4 [नियम 89 (2)(घ)और 89 (2)(ङ.)]

प्रतिदाय का प्रकार -- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई पूर्तियों के मद्दे

(रकम रुपयों में)

प्राप्तिकर्त्ता का जीएसटीआईएन	बीजक ब्यौरे			पोतपरिवहन पत्र/निर्यात बिल/विशेष आर्थिक जोन पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतवर्लित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर **(8+9+10–11)**
	सं०	तारीख	मूल्य	सं०	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
											."

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017–3808)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

18 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 248, एस०ओ० 247, दिनांक 18 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017–3808)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 18th October 2017

S.O. 247, dated 18th October 2017— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, –

(i) in rule 89, insub-rule (1), for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by, -

(a) the recipient of deemed export supplies; or

(b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund";

(ii) in rule 96A, in sub-rule (1), in clause (a),after the words "after the expiry of three months", the words ", or such further period as may be allowed by the Commissioner," shall be inserted;

(iii) in **FORM GST RFD-01,**

(a) for **"Statement-2",** the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											";

(b) for **"Statement-4",** the following Statement shall be substituted, namely:**-**

"Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10– 11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											."

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-3808)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 981-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in